

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 21/23

तारीख दायर 31/03/23
फैसल नं० 31/03/23

1-जमनादेवी पत्नी मदनलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तिलस्वा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
—प्रार्थीया

बनाम

1.- मदनलाल पुत्र श्रीलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तिलस्वा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

2.-राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:—आदेश:—

दिनांक

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्रीमति जमना देवी तेली ने जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम सुठियाल तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 91 पर अंकित आराजी संख्या 112 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आराजी संख्या 152/114 रकबा 0.5261 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.7284 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम सुठियाल तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 91 पर अंकित आराजी संख्या 112 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आराजी संख्या 152/114 रकबा 0.5261 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.7284 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 21/23

तारीख दायर - 31/03/23
फैसल हा. 31/03/23

प्रेषित :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 21/23 पत्थरगढी बाबत।

1- जमनादेवी पत्नी मदनलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तिलस्वा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
—प्रार्थीया

बनाम

1.- मदनलाल पुत्र श्रीलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तिलस्वा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

2.-राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

—विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम सुठियाल तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 91 पर अंकित आराजी संख्या 112 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आराजी संख्या 152/114 रकबा 0.5261 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.7284 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ